रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 69] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 6, 1987/माघ 17, 1908
No. 69] NEW DELHI, FRIDAY, FEB. 6, 1987/MAGHA 17, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 6 फरवरी, 1987

अधिसूचना

सा. का. नि. 84(अ).—प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13) की धारा 14 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 2 मार्च, 1987 को उस तारीख के

IndiaCode

रूप में निर्दिष्ट करती है, जिस तारीख से उक्त अधिनियम की धारा 14 की उप-धारा (3) के उपबंध लागू होंगे क्योंकि यह समिति सरकार के स्वामित्वाधीन या सरकार द्वारा नियंत्रित है तथा भारत सरकार कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) की दिनांक 2 मई, 1986 की अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 730(अ) में निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थात् :—उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम संख्या 6 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित अन्तःस्थापित की जाएगी अर्थात् :—

"केन्द्रीय सामाजिक	सरकार द्वारा नियंत्रित
कल्याण बोर्ड	एक प्राधिकरण"

[ए-11019/97/86-ए.डी.]

श्रीमती पी. वी. वल्सला जी. कुट्टी,
अवर सचिव

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

New Delhi, the 6th February, 1987

NOTIFICATION

G.S.R. 84(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 14 of the Administrative Tribunals Act, 1985 (13 of 1985), the Central Government hereby specifies the 2nd day of March, 1987 as the date on and from which the provisions of sub-section (3) of section 14 of the said Act shall apply to the Central Social Welfare Board, being an authority owned or controlled by Government, and makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Personnel, Public

Grievances and Pensions (Department of Personnel and Training) No. G.S.R. 730(E) dated the 2nd May, 1986, namely :—

In the said notification, in the Schedule after serial number 6 and entries relating thereto, the following shall be inserted, namely :—

"7.	Central Social Welfare Board.	An authority controlled by Government."

[No. A-11019/97/86-AT]

Mrs. P. V. VALSALA G. KUTTY, Under Secy.

IndiaCode

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987